न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध अपील वाद सं0-11/21-22

प्रभु सिंह बनाम चन्द्रदेव पाण्डेय

आदेश की क्रम एव तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
05/04/23	आवेदक प्रभु सिंह, पिता-प्रयाग सिंह, ग्राम-मदगढा राजपुर, जिला-चतरा द्वारा अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के विविध वाद संख्या-04/2018-19 में दिनांक-13.02.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अधिवक्ता के माध्यम से अपील आवेदन दायर किया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने-अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि**-"यह है कि खाता संख्या-25, प्लॉट संख्या-89 रकवा-30 डी0, मध्ये रकवा-08 डी0, प्लॉट संख्या-111, रकवा-06 डी0, मध्ये रकवा-06 डी0, प्लॉट संख्या-220, रकवा-44 डी0, मध्ये रकवा-28 डी0, प्लॉट संख्या-320, रकवा-14 डी0, मध्ये रकवा-14 डी0, प्लॉट संख्या-343, रकवा-56 डी0, मध्ये रकवा-56 डी0, प्लॉट संख्या-554 रकवा-10 डी0, मध्ये-10 डी0, प्लॉट संख्या-596, रकवा-16 डी0, मध्ये-16 डी0 प्लॉट संख्या-645 रकवा-06 डी0, मध्ये-06 डी0, प्लॉट संख्या-686, रकवा-14 डी0, मध्ये-14 डी0, प्लॉट संख्या-754, रकवा-44 डी0, मध्ये 26 डी0, प्लॉट संख्या-887, रकवा-3.32 एकड़ मध्ये-3.32 एकड़, प्लॉट संख्या-576, रकवा-16 डी0 मध्ये-16 डी0, प्लॉट संख्या-248, रकवा-12 डी0, मध्ये-12 डी0, प्लॉट संख्या-310 रकवा-16 डी0 मध्ये-06 डी0, प्लॉट संख्या-303, रकवा-12 डी0 मध्ये-12 डी0, प्लॉट संख्या-234 रकवा-54 डी0 मध्ये-20 डी0 प्लॉट संख्या-583, रकवा-10 डी0, मध्ये-10 डी0 प्लॉट संख्या-859, 862 रकवा-22 डी0, मध्ये-11 डी0 प्लॉट संख्या-942, रकवा-83 डी0, मध्ये-41½ डी0, प्लॉट संख्या-200, रकवा-09 डी0 मध्ये-4½ डी0 प्लॉट संख्या-164 रकवा-34 डी0 मध्ये-14 डी0 भूमि पूर्व जमीन्दार बाबु मुस्तक अली खान द्वारा सम्वत् 1994 साल में जगमोहन सिंह, पिता-स्व0	

बुधन सिंहके नाम से सादा हुकुमनामा के माध्यम से बंदोबस्त किया था। बंदोबस्त भूमि पर जगमोहन सिंह शांतिपूर्वक काबिज होकर जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त करते रहे। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद सरकारी रसीद जगमोहन सिंह के द्वारा प्राप्त किया गया है। जगमोहन सिंह के बाद उनके पुत्र प्रयाग सिंह एवं प्रयाग सिंह के पुत्र प्रभु सिंह उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है। प्रभु सिंह का हक, अधिकार एवं दखल कब्जा को देखते हुए BLR Act 1950 के प्रावधान के तहत् आवेदक दादा के नाम से जमाबंदी कायम किया गया है। यह है कि विपक्षी द्वारा गलत तरीके से मौजा–मदगड़ा खाता संख्या–25, प्लॉट संख्या–111, 113, 286, 303, 310, 318, 320, 358 कुल रकवा–92 डी0 भूमि पर दावा किया जा रहा है। तब आवेदक को पता चला कि विपक्षी के नाम से अवैध जमाबंदी कायम किया गया है। अपील र्थी प्रभु सिंह के द्वारा अंचल अधिकारी के समक्ष उक्त अवैध जमाबंदी को रद्द करने हेतु वाद संख्या–4/2018–19 प्रारम्भ हुआ । अंचल अधिकारी द्वारा कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर इस वाद में आदेश पारित किया गया है। कर्मचारी द्वारा गलत प्रतिवेदन दिया गया है। यह है कि अंचल अधिकारी द्वारा बिना मौका दिए हुए ही अपील र्थी के विरूद्ध दिनांक–12.03.2021 को आदेश पारित कर दिया गया है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के वाद संख्या–04/2018–19 में दिनांक–12.03.2021 को पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित बहस में यह उल्लेखित किया है कि–"यह कि अपील वाद अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा विविध वाद संख्या–4/2018–19 में पारित आदेश दिनांक–12.03. 2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में मात्र प्रभु सिंह के द्वारा लाया गया है जबकि निम्न न्यायालय में दो व्यक्ति थे इससे यह प्रमाणित होता है कि दुसरे व्यक्ति अली हसन का अंचल अधिकारी के आदेश के संदर्भ में विरोध नहीं है। यह कि अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के समक्ष आवेदक प्रभु सिंह एवं अली हसन ने दिनांक 26.09.2018 को आवेदन द्वारा प्रस्तुत की थी कि मौजा मदगडा थाना राजपुर के अंतर्गत खाता संख्या 25 कुल 8 जमा रकवा 13.20 एकड़ जमीन जगमोहन सिंह एवं वाहिद मिया के नाम से हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है जिस पर हमलोग पुर्वजों से जोत कोड़ करते आ रहे है। वर्ष 2018 में गांव के ही लोकश्वर पाण्डेय के नाम से कुल 8 प्लॉटों का रकवा 0.92 डी0 जमीन का ऑनलाईन मालगुजारी रसीद से निर्गत की गई है। साथ ही

उनके पुत्र चन्द्रदेव पाण्डेय द्वारा 30 डी0 जमीन अपने पुत्र आदित्य पाण्डेय के नाम से केवाला कर दिया गया है एवं तदनुसार ऑनलाईन रसीद भी निर्गत हो गया। खाता सख्या–25 के प्लॉट सख्या–296 को छोडकर उनका अन्य सात प्लॉट पर किसी प्रकार का दखल कब्जा नही है एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध की गई। इसके उपरात दोनो पक्षो को नोटिस निर्गत की गई तथा सबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन की मांग की गई। यह कि आवेदक प्रभु सिंह ने खाता सख्या 25 से संबधित एक हुकुमनामा जगमोहन सिंह के नमा से एक जमीन्दारी रसीद एवं 1958 का एक सरकारी रसीद प्रस्तुत की गई परंतु आवेदक मो0 अली हसन के ओर से कोई भी कागजात जमा नहीं की गई वही द्वितीय पक्ष के द्वारा मगरी गोसाईन पति जदु गोसाई द्वारा दिया गया दान पत्र, खतियान सरकारी रसीद 1954 से लगातार 2021–22 तक ऑनलाईन पंजी 2 तथा ऑनलाईन सरकारी रसीद, नक्शा, नामान्तरण शुद्धि पत्र की छायाप्रति कॉपी प्रस्तुत की गई। यह कि राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक निम्न न्यायालय में प्रतिवेदित किया है कि ग्राम–मतगडा का खाता सख्या–25 कुल रकबा 13.20 रैयती खाते की भूमि है जिसका खतियान मो मंगरी गोसाईन के नाम से दर्ज है उक्त भूमि के आठ प्लॉटों में कुल रकबा–092 डी0 का दान पत्र मंगरी गोसाई ने लोकेश्वर पाण्डेय को 16.06.1927 के द्वारा कर दी थी जिसका जमाबंदी पंजी 2 के पृष्ठ सख्या 101/1 पर कायम है लगान रसीद 2020–21 तक निर्गत है। राजस्व कर्मचारी/रा0 उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि चन्द्रदेव पाण्डेय से आदित्य पाण्डेय केवाला द्वारा 13/5/2018 को 30 डी0 जमीन क्रय किये है जिसका जमाबंदी पंजी 2 के पृष्ठ सख्या–1/4 पर दर्ज है। प्रतिवेदन में आगे यह भी बताया गया है कि स्थल पर उपस्थित जनतागण कहना है कि ये जमीन चन्द्रदेव पाण्डेय (लोकेश्वर पाण्डेय) का है और प्लॉट सख्या 296 रकवा 9 डी0 पर चन्द्रदेव पाण्डेय का घर का फाउण्डेशन किया हुआ है एवं ईट गिरा है। स्थल जॉच के समय निम्नलिखित उपस्थित व्यक्ति उपस्थित थे जिनका कहना है कि इस जमीन पर चन्द्रदेव पाण्डेय पिता लोकेश्वर पाण्डेय का शुरू से ही दखल कब्जा है। उपस्थित व्यक्तियों का हस्ताक्षर/टिप का निशान भी करवाया गया है। दोनो पक्षों के कागजातो का अवलोकनोपरांत तथा दखल कब्जा के संदर्भ में, प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी Hold किया है कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है जिसका प्रथम पक्ष (आवेदक) द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति सादा हुकुमनामा के आधार पर आवेदन दिया है जिसे

अस्वीकृत किया जाता है। पक्षकार सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। यह कि इस न्यायालय में आवेदक प्रभु सिंह ने अपना लिखित कथन एव अधिवक्ता के माध्यम से मौखिक बहस के दौरान बताया है कि खाता 25 का विभिन्न प्लॉटों का पूर्ववति जमीन्दार बाबु मुस्ताक अली खान द्वारा सवत 1994 साल में जगमोहन सिंह पिता स्व0 बुधन सिंह सा0 मदगड़ा का बन्दोबसती से हासिल है, जगमोहन सिंह अपने जीवन काल तक दखल कब्जा मे रहे एवं जमीनदार से जमीन्दारी रसीद प्राप्त करते रहे। जमीन्दारी उन्मुलन के पश्चात् सरकारी रसीदे निर्गत हुई तथा वे भिन्न भिन्न प्रकार के फसल के उगाते रहे। जगमोहन सिंह एक लड़का प्रयाग सिंह को छोड़कर मृत हो गये जो अपने पिता के नाम से सरकारी रसीद प्राप्त करते रहे। प्रयाग सिंह भी अपने पिछे एक पुत्र प्रभु सिंह (आवेदक) को छोड़ कर मृत हो गये। प्रभु सिंह अभी भी दखल कब्जा में बने हुए है। प्रभु सिंह विवादी जमीनी पर अपना हक हित एवं कब्जा बना हुआ बताया है तथा विपक्षी का बिना हक हित एवं कब्जा का खाता सख्या 25 के प्लॉट संख्या 111, 113, 286, 303, 310, 318, 320, 358 कुल रकवा–92 डी0 पर झुठा दावा का होना बताया है। Memo of appeal के कण्डिका 6 में आवेदक ने स्पष्टत झुठा कहा है कि k/c एवं c.i ने अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है तथा अपील ार्थी का कब्जा स्वीकार किया है। (जबकि k/c एवं c.i ने अपने प्रतिवेदन में विपक्षी का कब्जा बताया है।) आवेदक का यह भी कहना है कि k/c ने यह गलत प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी के नाम विना सक्षम पदाधिकारी के आदेश का रसीद निर्गत की गई है, अंचल अधिकारी का आदेश गलत है Covid-19 के चलते अंचल अधिकारी के आदेश का सत्यापित कॉपी नही दिया गया था। आवेदक का यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी का ओदश तथ्य एवं कानून के प्रतिकुल है तथा खारिज करने लायक है। अंचल अधिकारी को लम्बी जमाबंदी खारिज करने को अधिकार नही है। ग्रॉउण्ड viii में आवेदक ने बताया है दिनांक 12.3.2021 को विपक्षी के उपस्थित हेतु निर्धारित था परंतु बिना अवसर दिये अंचल अधिकारी ने यह आदेश पारित किया है। आवेदक का यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी ने अपना आदेश छुपा दिया तथा प्रदर्शित नही किया है बहस के दौरान आवेदक के द्वारा बताया गया कि सादा दान–पत्र से हक विपक्षी को प्राप्त नही हुआ है। यह कि विपक्षीगण का मौखिक बहस में कहना है कि अंचल अधिकारी ने जो भी पारित किया है वह उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार पूर्णतः सही है। राजस्व न्यायालय को किसी भी पक्ष का हक हित या दखल कब्जा का अधिकार के संदर्भ में आदेश पारित

करने का क्षेत्राधिकार नही है, जमाबंदी/डिमाण्ड खोलने तथा मालगुजारी वसुल करके मालगुजारी रसीद निर्गत करने का मूल आधार दखल कब्जा होता है। राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में विपक्षी उतरार्थी का दखल कब्जा बताया है जिसका ग्रामिणो ने भी समर्थन किया है अतः अंचल अधिकारी का आदेश कानूनी जायज है। विपक्षी का यह भी कथन है कि आवेदक का अपील काल बाधित है। अंचल अधिकारी का आदेश 12.03.2021 को पारित किया गया है, जिसका अपील इस न्यायालय में एक माह के अंदर दाखिल किया जाना चाहिये, अपील दाखिल करने का देर करने का कोई उचित कारण की व्याख्या नही की गई है, कोविड–19 के करण आदेश की कॉपी नही मिलने की बात गलत है। अभिलेख का आदेश फलक से स्पष्ट है कि 26.02.2021 को उपस्थित होने तथा स्थल जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को आदेश दिया गया था तदनुसार 26.02.2021 को निम्न न्यायालय में दोनो पक्ष उपस्थित होकर अपने दावे से संबंधित कागजातों को प्रस्तुत किया जिसका छायाप्रति अभिलेख में उपलब्ध है इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि दोनो पक्षों को पुरा अवसर दिया गया है। विपक्षी का यह भी कथन है कि लोकेश्वर पाण्डेय दि. 16.06.1927 से विवादी खाता संख्या–25 के कुल प्लॉटो रकवा 92 डी0 पद दखल कब्जा में आये थे। उनके मृत्यु के उपरांत उनका एक लडका चन्द्रदेव पाण्डेय उक्त जमीन को 30 डी0 जमीन निबंधित केवाला संख्या–1840/2018 से आदित्य पाण्डेय को बिक्री कर दिया जिनका हक एवं कब्जा में देखते हुए उनके नाम दाखिल खारिज करके सरकारी रसीद निर्गत हो रही है, जानकारी के उपरांत भी आदित्य पाण्डेय को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। विपक्षी गण यह भी कथन है कि अपील आवेदन में दार्शाया गया अपील हेतु आधार (ground) गलत है तथा सच्चाई से परे है एवं जो व्यक्ति न्यायालय में सच्चाई छुपा कर आते है वे किसी भी न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है अतः इस आधार पर भी आवेदक की अपील का आवेदन खारिज करने योग्य है। विपक्षी के ओर से यह भी कथन है कि अपील में उपयूक्त व्यक्तियों (आदित्य पाण्डेय) को तथा अंचल अधिकारी कान्हाचट्टी को पक्षकार नही बनाने के कारण भी यह अपील पोषणीय नही है। विपक्षीगण अपने पूवज लोकेश्वर पाण्डेय से जिवन काल के 1927 ई से विवादी भूमि पर दखल कब्जा में चले आ रहो तथा मालगुजारी देते आ रहे जो 12 वर्षो से पुर्व का है अतः विपक्षी का Adverse possession के आधार पर भी हक हित प्राप्त हो चुका है। R.T.I के तहत् प्राप्त प्रतिवेदन में चुक

की गई है इसके साथ पंजी–2 की कॉपी संलग्न नहीं है तथा विपक्षी के अलावे खाता संख्या–25 का जमाबंदी रयत आलम मियाँ तथा सलमा खातून का नाम भी इसमें नहीं है जिसका ऑनलाईन रसीद इस लिखित बहस के साथ संलग्न है। अपीलीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं महत्वपूर्ण निर्णय बिन्दु निम्नलिखित है। क्या निम्न न्यायालय उपलब्ध कागजातों के आलोक में उचित आदेश पारित किया है? क्या निम्न न्यायालय अंचल अधिकारी को पक्षकार का हक हित एवं दखल कब्जा का अधिकार घोषित करने का अधिकार है? क्या निम्न न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर कोई आदेश पारित की है? क्या अपीलार्थी ने महत्वपुर्ण व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है तथा जानकारी के उपरांत भी विवादी भूमि से संबंधित निबंधित कबाला संख्या 1840 / 8–6–2018 को रद्द करने हेतु सक्षम न्यायालय में कोई कारवाई की है? क्या Revnue कोर्ट को जमाबंदी खोलने का तथा मालगुजारी वसुल करके सरकारी रसीद निर्गत करने का मुख्य आधार दखल कब्जा होना है? यहाँ सर्वप्रथम यह उल्लेख करना उचित होगा कि राजस्व न्यायालय का जमाबंदी संबंधित आदेश का मुख्य आधार भौतिक दखल कब्जा ही माना जाता है जैसा कि माननीय न्यायालय ने भी डप्टा तिवारी बनाम बिहार सरकार के केस में निर्णित किया है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने विपक्षीगण का कब्जा होना बताया है। निम्न न्यायालय में विपक्षी के द्वारा 1954–55 से 2021–22 तक का सरकारी मालगुजारी रसीद भी जमा की है जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण के पक्ष में चल रही जमाबंदी लंबी अवधि से चल रही जो की दखल कब्जा का प्रमाण है। झारखण्ड उच्च न्यायालय ने दिलिप कुमार महता बनाम बिहार सरकार 2001 में निर्देशित किया है कि लंबी अवधि से चल रही जमाबंदी को Summary proceeding में रद्द नहीं की जा सकती है। 1927 का दान पत्र से हकीयत का दावा हो सकता है या नहीं यह निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है, परंतु उक्त 1927 के दान पत्र एवं मालगुजारी रसीदों से लोकेश्वर पाण्डेय का 1927 ई० से कब्जा मो माना ही जाएगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय होगा कि आवेदिका अपील र्थी ने विवादित भूमि के संदर्भ में चन्द्रदेव पाण्डेय के द्वारा आदित्य पाण्डेय के पक्ष में निबंधित कबाला होने की बात स्वीकार की है तथा आदित्य पाण्डेय के पक्ष में सरकारी रसीद निर्गत होने की बात को स्वीकार की है, परंतु आज तक जानकारी के उपरांत भी उक्त आदित्य पाण्डेय के नाम खोली गई जमाबंदी आज तक जानकारी के उपरांत भी उक्त आदित्य पाण्डेय के नाम खोली गई जमाबंदी के संदर्भ कोई अपील दाखिल नहीं की है, ना ही

निबंधित केवाला को रद्द करने हेतु सक्षम न्यायालय मे कोई वाद ही लाया है। जबकि निबंधित केवाला को जानकारी के बाद तीन वर्षो के अंदर रद्द करने हेतु व्यवहार न्यायालय मे मुकदमा लाना आवश्यक है। Sec 59 of the law of limitation अतएव इस न्यायालय को आदित्य पाण्डेय का 2018 के केवाला के आधार पर उनके नाम चल रही जमाबंदी को रद्द करने का अवसर नही है। (1979 B.B.C.J.605) इस राजस्व न्यायालय को निबंधित केवाला रद्द करने का अधिकार नही है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय होगा कि निम्न न्यायालय मे आदित्य पाण्डेय को जानकारी के उपरांत भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनिय होगा कि आवेदक राजस्व न्यायालय मे तथा इस अपील य न्यायालय में अपने अपील आवेदन के कण्डिका 5 में हक हित एवं दखल कब्जा के आधार पर दावा करते है तथा विपक्षी के जमाबंदी को बिना हक का होना बताते है। परंत विपक्षी का कब्जा की पुष्टि राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में दिया है तथा विपक्षी के पक्ष में लगातार निर्गत हो रही सरकारी रसीद विपक्षी का कब्जा का स्पष्ट प्रमाण है। जहाँ हकियत का मामला विवादित हो वहाँ व्यवहार न्यायालय ही उचित निर्णय देने हेतु अधिकृत है। यहाँ यह भी उल्लेखनिय होगा कि आवेदक ने टाइटल पेज पर अंचल अधिकारी चतरा को पक्षकार बनाया है जबकि अंचल अधिकारी चतरा का इस वाद में कोई संलिप्त नही है। अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी के द्वारा आदेश पारित की गई है। निम्न न्यायालय में प्रभु सिंह एवं मो0 अली हसन ने संयुक्त रूप से आवेदन दी थी परन्तु इस न्यायालय में अली हसन अपील करने में पक्षकार नही है। जिसके कारण भी अपील पोषणीय नही है। यह कि आवेदक ने यह वाद निम्न न्यायालय में लाया था अतः आवेदक को सर्व प्रथम अपना स्पष्ट दखल कब्जा को प्रमाणित करने का भार है। परंतु आवेदक द्वारा दाखिल हुकुमनामा में किसी भी प्रकार का चौहद्दी नही है नाही आवेदक प्रभु सिंह ने 1958 की सरकारी रसीद छोड़ कर अन्य सरकारी रसीद दाखिल की है। हुकुमनामा मे खाता 25 का आधा जमीन 6.60 एकड़ की रकवा बताया गया है जबकि हुकुमनामा की जालसाजी को प्रदशित करता है। निर्गत की स्पष्ट है यहाँ यह उल्लेखनिय होगा कि 1957 ई0 के बाद कर्मचारी को बिना अंचल अधिकारी के आदेश का सरकारी रसीद निर्गत नही करनी थी जैसा कि उपायुक्त हजारीबाग के पत्रांक 382/ता.5. 02.85 से स्पष्ट है। प्रभु सिंह ने यह भी नही बताया है कि किस परिस्थति में खतियानी रैयत की जमीन खयितानी रैयत से लेकर कथित हुकुमनामा प्रभु सिंह के पूर्वज जगमोहन सिंह के नाम निर्गत की गई है तथा किसके आदेश

से कथित हुकुमनामाधारी के नाम 1958 ई0 के सरकारी रसीद निर्गत हुई है। जबकि 1958 मे कर्मचारी को सरकारी रसीद निर्गत करने का अधिकार नही था। अपील र्थी की कथित सरकारी रसीद देखने से स्पष्ट है कि यह खाता 12, 25 एवं 28 की कुल जमीन 17.81 एकड़ के लिये निर्गत हुई है परंतु इससे स्पष्ट नही होता है कि अलग-अलग किस खाता की कितने भूमि हेतु सरकारी रसीद निर्गत है ना ही अपीलार्थी ने यह बाद कही स्पष्ट ही किया है। यह सरकारी रसीद में 1955-56, 156-57, 1957-58 (तीन वर्ष) के लिए बकाया की रसीद दर्शाता है, जिसका सलाना मालगुजारी 33 रू0 14 आना 33 रू0 14 आना दर्ज है, जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त तीनों वर्षो को मिलाकर बकाया मालगुजारी 101 रू0 52 पैसा हुआ। 101 रू0 52 पैसा 33 रू0 14 आना का मलगुजारी दिया गया है अतएव बकाया मालगुजारी 67 रू0 68 पैसा हुआ परंतु इस रसीद में बकाया मालगुजारी 63 रू0 12 आना ही बताया गया है जो स्पष्ट करता है कि वह मालगुजारी रसीद जाली एवं बनावटी है। जगमोहन सिंह के नाम से चले रहे कथित जमाबंदी 2 के अवलोकन से स्पष्ट है उसके होल्डींग में interpolation है, किसके द्वारा यह interpolation किया गया है उस व्यक्ति का हस्ताक्षर भी नही है। जमाबंदी 2 का कुल रकवा 5.54 एकड़ दर्शाया गया है जबकि 1958 की सरकारी रसीद में कुल रकवा-17.81 एकड़ है तथा हुकुमनामा में कुल रकवा 6.60 एकड़ है तथा इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण भी कही प्रस्तुत नहीं की गई है। अपलार्थी ने जो हुकुमनामा की कॉपी दाखिल किया है उसमें केवल खाता सख्या-25 की है जमीन जिक्र है यद्यपि उसमें चौहद्दी भी नही है, जोड़ भी सही नही है। इस हुकुमनामा में माल 8 रू0 पौने पॉच आना दिखाया गया है परंतु कोई भी जमीन्दारीर रसीद जो जमा किया गया है 8 रू0 पौने पॉच आना का नही है। बिना जमीन्दारी रसीद का हुकुमनामा अर्थहिन होता है एव इसका कोई कानूनी महता नही है। जमीन्दारी रसीद की प्रति देखने से स्पष्ट है कि इसमं सलाना मालगुजारी 31 रू0 आठ आना है तथा दो वर्ष सम्बत 1996 तथा 1997 का 15 रू0 12 आना मालगुजारी दर्शाया गया है जो हुकुमनामा से मेल नही खाता है। हुकुमनामा के संगत जमीन्दारी मालगुजारी रसीद होना अनिवार्य होता है। 1927 के दान पत्र के साथ लगातार सरकारी रसीदे तदनोपरांत आदित्य पाण्डेय के नाम Unchallenged निबंधित केवाला तथा सरकारी रसीदे एवं कर्मचारी का स्थल जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विपक्षी गण का विवादी 92 डी0 भूमि अनेको 12 वर्षो से दखल कब्जा बनी हुई है जो जमाबंदी का मुल आधार होता है। ओलम मियां एवं सलवी भुईनी के नाम

जमा की गई ऑन रजिस्टर 2 के कॉपी के अवलोकन से स्पष्ट है कि RR से 2012 ई0 में पाई गई प्रतिवेदन में चुक है। यद्यपि RR से ली गई प्रतिवेदन जानकारी के लिए ही Relevant होता है। जमाबंदी पंजी-2 तथा कर्मचारी के प्रतिवेदन के आलोक मे उसकी अधिक महता नही रह जाती है। अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय के आदेश मे कोई भी illegality, irregularity or impropriety नही है बल्कि उपलब्ध कागजतो एवं कब्जा प्रतिवेदन के आधार पर निम्न न्यायालय का आदेश उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है तथा पारित आदेश पूर्णतः उचित तथ्यानुसार एव कानुनी रुप से वैध है एवं किसी भी प्रकार से interference के योग्य नही है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि निम्न न्यायालय के आदेश कि पुष्टि करते हुए अपील र्थी का अपील वाद खारिज करने की कृपा किया जाय।

अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी ने अपने आदेश फलक में यह उल्लेखित किया है कि–"यह वाद प्रभु सिंह वगैरह, पिता–स्व0 प्रयाग सिंह ग्राम–मदगड़ा के आवेदन पत्र पर प्रारम्भ किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त है उन्होनें अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि ग्राम मदगढ़ में खाता संख्या–25 रैयती खाते की भूमि है जिसका खतियान मसो0 मगरी गोसाईन के नाम पर जिसका कुल प्लॉट का रकबा 13.20 एकड़ भूमि पर जिसका कुल प्लॉट का रकबा–13.20 एकड़ के तहत् जमीन में आठ प्लॉटों का रकबा–0.92 डी0 का दान पत्र (केवाला) मंगरी गोसाईन लोकेश्वर पाण्डेय को 16.06.1927 की दी है जिसका जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ सख्या–101/1 पर कायम है लगान रसीद संख्या–1954–55 से 2020–21 तक निर्गत है, चन्द्रदेव पाण्डेय से आदित्य पाण्डेय (अपने पिताजी) से केवाला द्वारा 13.05.2018 में क्रय किये है जिसका जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–1/4 पर दर्ज है अपने प्रतिवेदन के साथ जमाबंदी रैयत का ऑनलाईन दा0 खा0 का शुद्धि पत्र एवं पंजी–2 तथा 2020–21 तक का लगान रसीद संलग्न किये है। प्रभु सिंह के द्वारा खाता संख्या–25 से संबंधित एक सादा हुकुमनामा जगमोहन सिंह के नाम से जमीन्दारी रसीद एवं 1958 का सरकारी रसीद जमा किये है इसके अलावे 2012 में 41 जमाबंदी रैयतों का सूची सूचना अधिकार से लेकर जमा किये है जबकि मदगड़ा के दो भौलुम 2 के लगभग 200 से ज्यादा रैयतो का जमाबंदी कायम है। स्थल पर जॉचोपरांत उपस्थित जनतागण का कहना है कि जमीन चन्द्रदेव पाण्डेय (लोकेश्वर पाण्डेय) का है, प्लॉट संख्या–296 रकबा–0.09 डी0 भूमि पर चन्द्रदेव पाण्डेय का घर का फाउडेसन किया हुआ

है तथा ईट गिर हुआ है अपने प्रतिवेदन के साथ संबंधित स्थल पर उपस्थित जनता के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ है कागज प्रस्तुत किया है जो अभिलेख में संलग्न है। द्वितीय पक्ष के द्वारा मंगरी गोराईन पति स्व0 जेठु गोराई द्वारा दिए गये दान पत्र तथा खतियान सरकारी रसीद 1954 से 2020-21 तक पंजी-2 का ऑनलाईन सरकारी रसीद मौजा मदगड़ा का नक्सा एवं नामान्तरण शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया है जिसका छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। राजस्व उपनिरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन तथा दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत के कागजातों के अवलोकन के पश्चात् पाया गया है कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है जिसका प्रथम पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया है जिसे अस्वीकृत किया जाता है, उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।''

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के द्वारा समर्पित लिखित कथन/कागजातों, निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार पर निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :-

1. रैयती भूमि का मामला।
2. प्रथम पक्ष के द्वारा हुकुमनामा के आधार पर भूमि प्राप्त होने का दावा।
3. द्वितीय पक्ष के द्वारा दान पत्र से भूमि प्राप्त होने का दावा।
4. द्वितीय पक्ष का लंबे समय से जमाबंदी कायम होने का मामला।

01. **रैयती भूमि का मामला :- अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी द्वारा अपने आदेष पत्रक में उल्लेखित किया गया है कि**-''राजस्व उपनिरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन तथा दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत के कागजातों के अवलोकन के पश्चात् पाया गया है कि **प्रश्नगत भूमि रैयती खाते** की है।''

02. प्रथम पक्ष के द्वारा हुकुमनामा के आधार पर भूमि प्राप्त होने का दावा :- **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि**-''यह है कि खाता संख्या-25, प्लॉट संख्या-89 रकवा-30 डी0, मध्ये रकवा-08 डी0, प्लॉट संख्या-111, रकवा-06 डी0, मध्ये रकवा-06 डी0, प्लॉट संख्या-220, रकवा-44 डी0, मध्ये रकवा-28 डी0, प्लॉट संख्या-320, रकवा-14 डी0, मध्ये रकवा-14 डी0, प्लॉट संख्या-343, रकवा-56 डी0, मध्ये रकवा-56 डी0, प्लॉट संख्या-554 रकवा-10 डी0, मध्ये-10 डी0, प्लॉट संख्या-596, रकवा-16 डी0, मध्ये-16 डी0 प्लॉट संख्या-645 रकवा-06 डी0, मध्ये-06 डी0, प्लॉट संख्या-686, रकवा-14 डी0, मध्ये-14 डी0, प्लॉट संख्या-754, रकवा-44 डी0, मध्ये 26 डी0, प्लॉट संख्या-887, रकवा-3.32 एकड़ मध्ये-3.32 एकड़, प्लॉट संख्या-576, रकवा-16 डी0 मध्ये-16 डी0, प्लॉट संख्या-248, रकवा-12 डी0, मध्ये-12 डी0, प्लॉट संख्या-310 रकवा-16 डी0 मध्ये-06 डी0, प्लॉट संख्या-303,

रकवा–12 डी0 मध्ये–12 डी0, प्लॉट संख्या–234 रकवा–54 डी0 मध्ये–20 डी0 प्लॉट संख्या–583, रकवा–10 डी0, मध्ये–10 डी0 प्लॉट संख्या–859, 862 रकवा–22 डी0, मध्ये–11 डी0 प्लॉट संख्या–942, रकवा–83 डी0, मध्ये–41½ डी0, प्लॉट संख्या–200, रकवा–09 डी0 मध्ये–4½ डी0 प्लॉट संख्या–164 रकवा–34 डी0 मध्ये–14 डी0 भूमि पूर्व जमीन्दार बाबु मुरतक अली खान द्वारा सम्वत् 1994 साल में जगमोहन सिंह, पिता–स्व0 बुधन सिंह के नाम से सादा हुकुमनामा के माध्यम से बंदोबस्त किया था। बंदोबस्त भूमि पर जगमोहन सिंह शांतिपूर्वक काबिज होकर जमीन्दार को लगान देकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त करते रहे। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद सरकारी रसीद जगमोहन सिंह के द्वारा प्राप्त किया गया है।" **साथ ही साथ अंचल अधिकारी,** कान्हाचट्टी **के आदेष पत्रक में अंकित है कि**–"प्रभु सिंह के द्वारा खाता संख्या–25 से संबधित एक सादा हुकुमनामा जगमोहन सिंह के नाम से जमीन्दारी रसीद एवं 1958 का सरकारी रसीद जमा किये है इसके अलावे 2012 में 41 जमाबंदी रैयतों का सूची सूचना अधिकार से लेकर जमा किये है जबकि मदगडा के दो मौलुम 2 के लगभग 200 से ज्यादा रैयतों का जमाबंदी कायम है।"

3. <u>द्वितीय पक्ष के द्वारा दान पत्र से भूमि प्राप्त होने का दावा</u> :– **द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया है कि**–"ग्राम–मतगडा का खाता संख्या–25 कुल रकवा 13.20 रैयती खाते की भूमि है जिसका खतियान मो मंगरी गोसाईन के नाम से दर्ज है उक्त भूमि के आठ प्लॉटों में कुल रकवा–092 डी0 का दान **पत्र मंगरी गोसाई ने लोकेश्वर पाण्डेय को** 16.06.1927 के द्वारा कर दी थी जिसका जमाबंदी पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 101/1 पर कायम है लगान रसीद 2020–21 तक निर्गत है।" **अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी ने अपने आदेश फलक में यह उल्लेखित किया है कि**–"यह वाद प्रभु सिंह वगैरह, पिता–स्व0 प्रयाग सिंह ग्राम–मदगडा के आवेदन पत्र पर प्रारम्भ किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त है उन्होंने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि ग्राम मदगढ में खाता संख्या–25 रैयती खाते की भूमि है जिसका खतियान मसो0 मगरी गोसाईन के नाम पर जिसका कुल प्लॉट का रकवा 13.20 एकड भूमि पर जिसका कुल प्लॉट का रकवा–13.20 एकड़ के तहत् जमीन में आठ प्लॉटों का रकवा–0.92 डी0 का दान पत्र (केवाला) मंगरी गोसाईन लोकेश्वर पाण्डेय को 16.06.1927 की दी है जिसका जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–101/1 पर कायम है लगान रसीद संख्या–1954–55 से 2020–21 तक निर्गत है, चन्द्रदेव पाण्डेय से आदित्य पाण्डेय (अपने पिताजी) से केवाला द्वारा 13.05.2018 में क्रय किये है जिसका जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–1/4 पर दर्ज है अपने प्रतिवेदन के साथ जमाबंदी रैयत का ऑनलाईन दा0 खा0 का शुद्धि पत्र एवं पंजी–2 तथा 2020–21 तक का लगान रसीद संलग्न किये है।"

4. **द्वितीय पक्ष का लंबे समय से जमाबंदी कायम होने का मामला :–**
अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी ने अपने आदेश फलक में यह उल्लेखित किया है कि–"राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त है उन्होंने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि ग्राम मदगढ़ में खाता संख्या–25 रैयती खाते की भूमि है जिसका खतियान मसो0 मगरी गोसाईन के नाम पर जिसका कुल प्लॉट का रकवा 13.20 एकड़ भूमि पर जिसका कुल प्लॉट का रकवा–13.20 एकड़ के तहत् जमीन में आठ प्लॉटों का रकवा–0.92 डी0 का दान पत्र (केवाला) मगरी गोसाईन लोकेश्वर पाण्डेय को 16.06.1927 की दी है जिसका जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–101/1 पर कायम है लगान रसीद संख्या–1954–55 से 2020–21 तक निर्गत है, चन्द्रदेव पाण्डेय से आदित्य पाण्डेय (अपने पिताजी) से केवाला द्वारा 13.05.2018 में क्रय किये है जिसका जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–1/4 पर दर्ज है।"

उपरोक्त प्रथम पक्ष के द्वारा हुकुमनामा, जमीन्दारी रसीद एवं एक वर्ष 1958 का सरकारी रसीद निर्गत होने के आधार पर तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा खतियानी रैयत से दान पत्र क माध्यम से भूमि प्राप्त होने, वर्ष 1954–55 से 2020–21 तक लगान रसीद निर्गत होने तथा दखल कब्जा होने के आधार पर दावा किया जा रहा है। इस वाद से संबंधित भूमि रैयती खाते की भूमि है। उक्त तथ्यों, अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी से प्राप्त निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न अन्य कागजातों के आधार स्वत्व का मामला परिलक्षित होता है। अतः इस न्यायालय से कोई फैसला देना उचित प्रतीत नहीं होता है। संबंधित पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय/सिविल कोर्ट की शरण में जा सकते है।

संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, कान्हाचट्टी को भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

05/04/2023 05/04/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.04 08:51:32 -07:00
Location: 2409:40e4:46:f988:3cdd:4fd4:3279:4ffe